



प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली
श्यामपुर, मंसुरपुर, विदुपुर, वैशाली-844115
Email Id: -principalgecvvaishali@gmail.com
Website:-www.gecvvaishali.ac.in



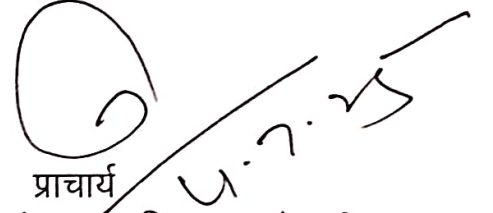
पत्रांक—GECV/Office/2025/806

दिनांक—04 / 07 / 2025

कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (SLP No-24295 of 2006 16.05.2007) के आलोक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना (Vide No- 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1,2009) में वर्णित प्रावधान के अनुसार छात्रों का रैंगिंग किया जाना एक दंडणीय अपराध है। रैंगिंग की शिकायत प्राप्त होते ही सर्वप्रथम रैंगिंग करने वाले छात्र के विरुद्ध थाना में प्राथमिक दर्ज किये जाने के साथ कठोर से कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी एवं परिणामस्वरूप उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

अतः सभी छात्र-छात्राओं को निदेशित किया जाता है कि वह रैंगिंग की किसी भी गतिविधि में संलिप्त ना होकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखें।

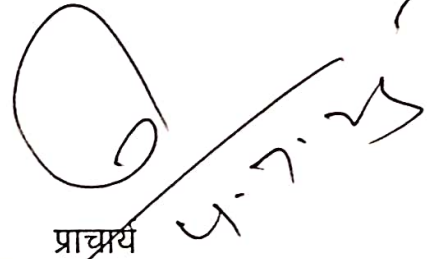

प्राचार्य

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली
दिनांक—04 / 07 / 2025

ज्ञापक:—806

प्रतिलिपि—

1. सचिव/निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सूचना पट्ट, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली।
3. वेब साइट प्रभारी, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली।
4. कार्यालय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्राचार्य

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली